

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं 144] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 1980/श्रावण 2, 1902
No. 144] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 1980/SRAVANA 2, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अप्रत्यक्ष कर प्रभाग

सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू० 36/80

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1980

फा०सं० 609/16/80-प्रतिप्रदायगी :- सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी
नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित
अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-
समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू० 1, दिनांक 15 फरवरी,
1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :-

उपक्रम सं० 3617 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
3617	(क) सभी प्रकार के इस्पात, तार-उत्पाद (इस्पात की बैल्ड मैश/बैल्ड की गई तार रैम को छोड़कर) अर्थात् तार, रोज, मैश जाली, वेत लिफ फेन्सिंग इस्पात की बलदार तारें, पेनल पिनें, सभी प्रकार के इस्पात के तार और प्लेट कीलें, इस्पात के कंटीले तार और तार के ब्रुश ।	
	(1) अगालबिनिहृत	355.00 रु० (केवल तीन सौ पन्चपन रूपए) प्रति मीट्रिक टन ।
	(2) मालबिनिहृत	683.00 रु० (केवल छः सौ तिरासी रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख) इस्पात की बैल्ड मैश/बैल्ड किया गया तार मैश	369.00 रु० (केवल तीन सौ उनहत्तर रूपए) प्रति मीट्रिक टन ।

यह सार्वजनिक सूचना जून, 1979 के पहले दिन लागू हुई समझी जाएगी ।

के०एस० वेंकटरमाणी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

INDIRECT TAXES DIVISION

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN-36/80

New Delhi, 24th July, 1980

F. No. 609/16/80-DBK.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52, F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated 15-10-1971 as amended from time to time:—

For the Sub-serial No. 3617, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Sub Sl. No.	Description of goods	Rate of Drawback
3617 (A)	Steel wire products, (excluding Steel Weld Mesh/Welded Wire Mesh), all sorts, namely wire guage, mesh netting, chain link fencing, steel stranded wires, panel pins, steel wire and plate nails all sorts, steel barbed wire and wire brushes.	
	(i) Ungalvanised	Rs. 355.00 per tonne.
	(ii) Galvanised	Rs. 683.00 per tonne

(B) Steel Weld Mesh/Welded wire mesh . Rs 369.00 per tonne

The Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1979.

K.S. VENKETARAMANI, Deputy Secy.

